न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद अपील संख्या–73/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
जिमनाराम पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर उचित मूल्य दुकानदार, पुन्दलौता तहसील डेगाना जिला नागौर राज0		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कडवा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक।

निर्णय दिनांक– 25-11-2019

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 27/19 राजस्थान सरकार बनाम जिमनाराम में जिला रसद अधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 11.10.2019 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को उचित मूल्य दुकानदार सांजू तहसील डेगाना हेतु विधिवत प्राधिकार जारी किया हुआ था और उचित मूल्य दुकान पुन्दलौता का उसे अतिरिक्त चार्ज दिया गया था। अपीलान्ट नियमानुसार कार्य कर रहा था इसी दौरान पुन्दलौता के कुछ शिकायत प्रवृति के लोगों द्वारा मिथ्या शिकायत पेश कर डीलर द्वारा राशन सामग्री वितरण नहीं करने, उपभोक्ता सप्ताह में दुकान बंद रखने की शिकायत पर जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा जिला रसद कार्यालय को शिकायत प्रेषित कर जॉच कर कार्यवाही का निर्देश दिया, जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना को मौके पर जाकर दुकान के वितरण संबंधी तथ्यों की जांच हेतु दिनांक 19.02.2019 को कार्यालय पत्रांक द्वारा निर्देशित किया जाना बताया व दिनांक 23.02.2019 को प्रवर्तन निरीक्षक पुन्दलोता में जाकर जांच की गई मौके पर जिमनाराम मिला, जिसने जांच करवाई व जांच में पोश मशीन में दर्ज स्टॉक के अनुसार 1.30 क्विंटल गेहू कम पाये गये व पोश मशीन से निकलने वाली राशन सामग्री की पर्ची उपभोक्ता को नहीं देना, उपभोक्ता सप्ताह में दो तीन दिन ही दुकान खोलना पाया गया व प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर विभागीय प्रकरण संख्या 27/19 दर्ज कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर निलम्बन आदेश व कारण बताओ नोटिस जारी किया व अस्थाई कार्यभार हनुमानराम सांजू तहसील डेगाना को दिया गया।
3. अपीलांट ने कार्यवाही में अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि उचित मूल्य दुकान पुन्दलौता के निरीक्षण के दौरान 3.86 क्विंटल शक्कर, केरोसीन 493 लीटर, गेहू 415.30 क्विंटल मिला व बिलो के मिलान से 5 क्विंटल शक्कर, 660 लीटर केरोसीन व 778 कट्टे यानि 239 क्विंटल गेहू मौजूदा मिले, 175 क्विंटल गेहू का उठाव भण्डार मेडता से नहीं होना पाया गया, 1.30 क्विंटल गेहू निजी उपयोग करके अनियमितता बरतना बताया गया है स्टॉक से अधिक 1.14 क्विंटल चीनी/शक्कर व 167 लीटर केरोसीन अधिक पाया जाना बताया है।
4. अपीलांट ने निवेदन किया कि उसने दिनांक 27.12.2018 को हनुमानराम उचित मूल्य दुकानदार पुन्दलोता को स्टॉक दिया जिसमें निम्न सामग्री स्टॉक में दी– गेहू 100 क्विंटल, चीनी 512.25 क्विंटल, केरोसीन 660 लीटर दिया। एक माह का वितरण हनुमानराम अस्थाई डीलर द्वारा किया गया। रसद अधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 04.02.2019 को अपीलांट ने हनुमानराम से स्टॉक प्राप्त किया जो निम्न प्रकार है– गेहू 100 क्विंटल, चीनी 512.25 क्विंटल व केरोसीन 660 लीटर प्राप्त किया, पोश मशीन विवरण इस प्रकार था। गेहू 288.95 क्विंटल,

(राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

चीनी 3.86 क्विंटल, केरोसीन 3 लीटर वितरण सामग्री हनुमानराम ने पोश मशीन से अधिक मेरे को चार्ज में दिया उसकी स्टॉक प्राप्ति रसीदो की फोटो प्रति, चार्ज लेने व देने की जवाब के सलग्न पेश की गयी।

5. अपीलांट ने निवेदन किया कि उसने किसी प्रकार की अनियमितता या गलती नहीं की है हनुमानराम ने जितनी चीनी, केरोसीन, गेहू वितरण के साथ निकाला था और उपभोक्ताओं को दिया नहीं था वही स्टॉक मेरे पास अधिक मिला है जिससे में निर्दोष है। जिला रसद अधिकारी के आदेश में 1.30 क्विंटल गेहू कम पाया जाना बताया है जिसमें कट्टो का वजन 50 किलो से अधिक बताया गया है बिल की फोटो प्रति साथ में पेश की थी और निरीक्षक में वजन 50 किलो ही बताया गया है। रसद अधिकारी के आदेश में मार्च 2018 से अप्रेल 2018 गेहू का उठाव नहीं करना बताया है जबकि उस समय पुन्दलौता में अस्थाई डिलर भगवती देवी, डेगाना के पास चार्ज था। गेहू का उठाव भगवतीदेवी ने नहीं किया था। मेरा आदेश रसद कार्यालय से दिनांक 25.06.2018 को किया गया जिसके बाद मैने नियमित राशन सामग्री का उठाव वितरण आपके आदेशानुसार किया है जिससे में निर्दोष हूँ। रसद अधिकारी द्वारा दो दिन ही वितरण करना बताया गया है जबकि अपीलांट ने हर माह में 6 व 7 दिन तक पोश मशीन से वितरण किया है पोश मशीन में वितरण की जांच में मै सही हूँ, आरोप बिल्कुल गलत लगाया है। मै राशन वितरण में हर माह पोश मशीन में पर्ची निकाल कर देता रहा हूँ इसलिए अपीलांट के विरूद्ध आरोप गलत लगाया होना बताया जिससे नोटिस व कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया।

6. परिस्थितियों को देखते हुए व माकूल कारण को मध्य नजर रखते हुए कार्यवाही ड्रोप की जानी चाहिए थी, बावजूद इसके अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि 1000रू जब्त सरकार करने का आदेश/निर्णय दिनांक 11.10.2019 को जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील अन्दर मयाद पेश की हैं।

7. निर्णय/आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से विपरीत पारित किया होने से निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

8. अपीलान्ट के विरूद्ध स्वतन्त्र किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत कभी नहीं रही है केवल मात्र कुछ असामाजिक तत्वों ने मिथ्या शिकायत राजनैतिक द्वेषता से अतिरिक्त चार्ज अपीलान्ट के पास होने के समय की गई है, जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक ने मौके पर स्टॉक का विधिवत तोल आदि नहीं करके सरसरी तौर पर ही 1.30 किलो गेहू कम बताया गया है जिस संबंध में अपीलान्ट ने जबाब नोटिस के जरिये रसद अधिकारी को यह सूचित कर दिया कि 1.30 किलो गेहूँ कम बताये जाने का मुख्य कारण यह रहा है कि गैहू के कट्टों का वजन 50 किलों से अधिक होता है जबकि माप 50 किलो मानकर लिया गया हैं व यह भी निवेदन किया कि कट्टों का वजन अधिक होने बाबत बिल नंम्बर 1466 व 2172 पेश किये जिनमें माप जहां 250 बैग का वेट 125 क्विंटल होना चाहिए वहां पर वजन 125.75 किला आया। इस प्रकार 75 किलो अतिरिक्त पाया गया हैं। दुसरे बिल में जहां 31 बैग का तोल 15.50 क्विंटल होना चाहिए वहा 15.61 क्विंटल वजन आया है। प्रकार दुसरे बिल में 11 किलो अतिरिक्त पाया गया है। इस प्रकार कट्टों का माप सही नहीं होने से 1.30 क्विंटल अल्प मात्रा कम पाई जाने का जो आक्षेप लगाया है उसका उपरोक्त माकुल व पर्याप्त कारण रहा है, जिसका अनियमितता या गबन का रूप कतई नहीं दिया जा सकता है।

9. हनुमानराम द्वारा अपीलान्ट जिमनाराम को चार्ज दिया गया और कहा कि जो चार्ज जिमनाराम ने हनुमानराम को दिया था वहीं स्टॉक सहित चार्ज वापिस हनुमानराम ने जिमनाराम को देना बताया है व किसी प्रकार की सामग्री का वितरण नहीं करना पाया है। जबकि हनुमानराम ने पोश मशीन से सामग्री का वितरण किया था जिसकी जॉच, जॉच अधिकारी ने नहीं कर अपीलान्ट को राजनैतिक रंजिश का शिकार बनाया है।

10. अपीलान्ट ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता या गबन नहीं किया है। बल्कि हनुमानराम ने दिनांक 25.1.2019 को चीनी 54 किलो, केरोसीन 225 लीटर, गेहूँ 49.40 क्विंटल आदि निकाल कर वितरण किया व दिनांक 26.1.2019 को चीनी 42 किलो, केरोसीन 202 लीटर, गैहू 39.30 क्विंटल व दिनांक 2.1.2019 को चीनी 30 किलो, केरोसीन 270 लीटर, गेहूँ 43.15 क्विंटल का

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

वितरण हनुमानराम द्वारा पोश मशीन से कर दिया गया जबकि चार्ज देते समय मिथ्या घोषणा की गयी कि जिमनाराम ने जिस स्टॉक हालत में चार्ज दिया उसी हालत में वापिस चार्ज दिया गया है, जबकि जिमना को चार्ज देने से पूर्व हनुमानराम द्वारा वितरण किया जाना पोश मशीन की रसीदों से साबित है।

11. अधिनस्थ रसद अधिकारी की पत्रावली व जॉच रिपोर्टों आदि का अवलोकन करे तो स्पष्ट होगा कि संदिग्ध भूमिका हनुमानराम की रही है तथा जॉच रिपोर्ट में भी हनुमानराम द्वारा 16 क्विंटल गेहूँ का गबन करना पाया गया है, इस प्रकार जो भी कोई गबन या अनियमितता हुई है वह हनुमानराम द्वारा की गयी है और हनुमानराम को बचाने के लिए उसके मिलने वालों व राजनैतिक रसूखात रखने वाले लोगों ने अपीलान्ट को गलत आक्षेपित करवा कर उसका प्राधिकार पत्र खारिज करवाया है।
12. अपीलान्ट पर केरोसीन गबन का आरोप है व जॉच रिपोर्ट दिनांक 07.10.2019 का प्रश्न है उस रिपोर्ट से अपीलान्ट को किसी भी दृष्टि से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र तो उससे पहले ही दिनांक 9.5.2019 को ही निरस्त कर दिया गया था। नये व अतिरिक्त चार्ज वाले डिलर व प्रवर्तन निरीक्षक ने मिलकर मनमर्जी से कोई दस्तावेज तैयार किये है, तो उससे अपीलान्ट को दण्डित नहीं किया जा सकता है।
13. प्रवर्तन निरीक्षक रामावतार पूनिया स्वंय की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2019 की मौतबिरान के रूबरू व मौतबिरान के हस्ताक्षरों सहित जो पेश हुई है उसका अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट हो जावेगा कि प्रवर्तन निरीक्षक स्वंय ने रिपोर्ट में यह बताया है कि अपीलान्ट जिमनाराम के विरूद्ध लोगों की गबन संबंधी कोई शिकायत नहीं है बल्कि यह लिखा है कि राशन डिलर जिमनाराम से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि शिकायत यह है कि राशन डिलर केवल दो दिन वितरण करता है, जिस पर अपीलान्ट को 24 व 30 तारीख तक वितरण करने हेतु पाबन्द किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार के गबन या अनियमितता की कोई शिकायत व प्रकरण प्रमाणित नहीं है। जहां तक उपभोक्ताओं द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को दो दिन ही सामग्री वितरण करना बताया गया है, उसके संबंध में अपीलान्ट का नम्र निवेदन है कि उक्त शिकायत भी सही नहीं है क्योंकि पोश मशीन इलेक्ट्रानिक मशीन है तथा ऑन लाईन है, जिसे कभी भी चेक करके देखा जा सकता है कि महीने में कितने दिन राशन सामग्री वितरण की गयी है व आज भी उसको चेक करके देखा जा सकता है कि अपीलान्ट ने महिने में दो दिन वितरण न करके 6–6 दिन वितरण किया है, जो पोश मशीन से स्पष्ट है इस दृष्टिकोण से भी आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
14. अपीलान्ट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लघंन होता हो तथा अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लघंन अपीलान्ट द्वारा नहीं किया गया था।
15. अपीलान्ट द्वारा हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तों अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है और कथित जॉच प्रतिवेदन में भी अन्य कोई अनियमितता नहीं पाई गयी, जो आरोप लगाया गया था उसके संबंध में स्पष्टीकरण पेश कर स्पष्ट कर दिया गया। जहां तक गेहूँ स्टॉक कम पाये जाने का प्रश्न है उसका कारण कट्टों में 50 किलो से ज्यादा माल भरा होने के कारण थोड़ा बहुत वजन कम ज्यादा हो सकता है जो पूर्ण स्टॉक व सही माप से स्पष्ट हो जाता है इसके अलावा केरोसीन के कथित गबन का जो आक्षेप लगाया है वह भी सरासर गलत है। क्योंकि सितम्बर 2016 में पोश मशीन लागू की गयी थी, जिसमें केरोसीन के लिए अलग से वितरण रजिस्टर प्रमाणित किये जाते थे, 2016 में पोश मशीन की सख्ती तो केवल गेहू पर थी, केरोसीन का इन्द्राज तो रजिस्टर में किया जाता था, जबकि जॉच में 4972 लीटर करोसीन का गबन पोश मशीन की ऐन्ट्री निकाल कर बताया है, जबकि उस दौरान पोश मशीन केरोसीन के लिए लागू ही नहीं था तथा रजिस्टरों का कहीं मिलान तक नहीं किया गया है। इस प्रकार केरोसीन गबन का आक्षेप भी सरासर गलत था व है तथा इस संबंध में रसद अधिकारी ने अपने स्तर पर न तो कोई जांच की न ही अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया व सरसरी तौर पर ही जल्दबाजी में आनन फानन में आदेश जैर अपील पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

Scanned by CamScanner

16. अपीलान्ट के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत किसी उपभोक्ता/सरपंच या अन्य नागरिक की गबन बाबत नहीं थी जिससे यह साबित हो कि अपीलान्ट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत बने नियमों का उल्लघंन किया गया हो। इसके अलावा अपीलान्ट के द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तों व निबन्धनों की पालना करते हुए विधिनुसार कार्य किया जा रहा था, फिर भी सामग्री के वजन में मामुली कोई फर्क पाया जाता तो भी इस बाबत स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।
17. पत्रावली में दिनांक 21.05.2019 की दो रिपोर्टे बनी हुई है, दोनों में अलग–अलग व मिथ्या इन्द्राजात किये गये है। जिनका अवलोकन करने से स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलान्ट के विरूद्ध जॉच अधिकारी व शिकायतकर्ताओं द्वारा राजनैतिक रंजिशवश मिथ्या कार्यवाही की है।
18. अपीलान्ट बेरोजगार है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी अपीलान्ट पर ही है तथा अपीलान्ट नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है फिर भी प्रतिवेदन वर्णित आरोप व सामग्री स्टॉक में जो कमी बतायी गयी है वह अत्यधिक अल्प मात्रा है वैसी स्थिति में इस तरह का कठोरतम निर्णय पारित नहीं करके अपीलांन्ट का आवश्यक हिदायत देकर या आवश्यक हो तो आईन्दा ऐसी शिकायत नहीं होने बाबत बंधपत्र या अण्डरटेंकिग/शपथ पत्र लेकर प्राधिकार पत्र बहाल करना न्याय संगत था व है और यही विधि की मंशा है। मगर ऐसा नहीं करके सरसरी आधार पर एक ही अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही कर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने में जिला रसद अधिकारी नागौर ने विधिक त्रुटि की है जिससे भी आदेश जैर अपील संशोधित/परिवर्तित/निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते अपीलान्ट पर अधिरोपित की जावेगी उनकी अपीलान्ट अक्षरशः पालना करने का तैयार है।
19. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर सर्व प्रथम जॉच अधिकारी द्वारा इस संबंध में बनी वितरण कमेटी द्वारा जॉच कर उस कमेटी के सदस्यों द्वारा पूछताछ कर उनके बयान लेकर उसके पश्चात दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर उक्त कमेटी के बयानों को मध्य नजर रखते हुए उचित मूल्य दुकानदार को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर बाद में दोषी पाये जाने पर उक्त प्राधिकार पत्र निरस्ती की कार्यवाही की जा सकती है। मगर प्रकरण हाजा में ऐसी कमेटी द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत उक्त दुकानदार अपीलान्ट के विरूद्ध नहीं है न ही जॉच अधिकारी ने ऐसी कमेटी के सदस्यों के बयान ही लिये है न ही जॉच अधिकारी ने ऐसी कमेटी के सदस्यों के बयान ही लिये है न ही किसी तरह से पूछताछ की है केवल मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एकतरफी कार्यवाही कर अपीलान्ट को दोषी बता कर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि करने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 27/19 राजस्थान सरकार बनाम जिमनाराम में पारित आदेश/निर्णय जैर अपील दिनांक 11.10.2019 को अपास्त/संशोधित/निरस्त करने व अपीलान्ट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल करने का निवेदन किया है।
20. अप्रार्थी की ओर से श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट जिमनाराम की अतिरिक्त अस्थाई उचित मूल्य दुकान पुन्दलौता के उपभोक्ताओं की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.2.19 से प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना को जॉच हेतु आदेशित किया। उक्त आदेश की अनुपालना में प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना ने दिनांक 23.02.2019 को उचित मूल्य दुकान पुन्लौता में मौके पर जाकर जॉच की, मौके पर उचित मूल्य दुकानदार जिमनाराम अपीलान्ट एवं काफी संख्या में अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। वक्त निरीक्षण मौके पर उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर द्वारा समय पर दुकान नहीं खोली जाती, उपभोक्ता सप्ताह में 2–3 दिन ही दुकान खोलता है एवं पोश मशीन की राशन सामग्री की पर्ची उपरोक्ताओं को नहीं देता है। मौके पर डीलर व अन्य व्यक्तियों के समक्ष उचित मूल्य दुकान पुन्दलौता की राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर पोश मशीन मे दर्ज सामग्री के अनुसार 1.30 क्विंटल गेहू कम पाये गये। तत्पश्चात अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 09.05.2019 को निलम्बित तथा आदेश दिनांक 15.05.2019 से उचित मूल्य दुकान पुन्दलौता का अस्थाई कार्यभार श्री हनुमानराम उचित मूल्य दुकानदार सांजू को देने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश दिनांक 15.09.2019 की अनुपालना में जिमनाराम

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान पुन्दलोता का चार्ज श्री हनुमानराम उचित मूल्य दुकानदार सांजू को 21.05.2019 को दिया गया। अपीलान्ट जिमनाराम ने निलम्बन के पश्चात जिला रसद अधिकारी के आदेशानुसार अपनी मूल उचित मूल्य दुकान सांजू का चार्ज श्री सीताराम उचित मूल्यदुकानदार दागड़ी तहसील डेगाना को दिनांक 19.05.2019 को हस्तान्तरित किया, जिसमें अपीलान्ट जिमनाराम द्वारा 4972.50 लीटर कैरोसीन का हस्तान्तरण करना था, किन्तु अपीलान्ट द्वारा केवल 0.5 लीटर केरोसीन का ही हस्तान्तरण श्री सीताराम को किया। अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार 4972लीटर केरोसीन एवं 1.30 क्विंटल गेहू का गबन करने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

21. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट जिमनाराम की अतिरिक्त अस्थाई उचित मूल्य दुकान पुन्दलौता के उपभोक्ताओं की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी नागौर ने अपने आदेश कमांक–रसद/शिकायत/2019/246 दिनांक 19.2.19 एवं पत्रांक–252 दिनांक 22.2.2019 से प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना को जॉच हेतु निर्देशित करने पर प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना ने दिनांक 23.02.2019 को उचित मूल्य दुकान पुन्लौता में मौके पर जाकर जॉच की, मौके पर उचित मूल्य दुकानदार जिमनाराम अपीलान्ट एवं काफी संख्या में अन्य व्यक्ति उपस्थित थे, उक्त फर्द मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट व अन्य उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2019 के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना को वक्त निरीक्षण मौके पर उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर द्वारा समय पर दुकान नहीं खोली जाती हैं। उपभोक्ता सप्ताह में 2–3 दिन ही दुकान खोलता है एवं पोश मशीन की राशन सामग्री की पर्ची उपरोक्ताओं को नहीं देता है। मौके पर डीलर व अन्य व्यक्तियों के समक्ष उचित मूल्य दुकान पुन्दलौता के राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर पोश मशीन मे दर्ज सामग्री के अनुसार 1.30 क्विंटल गेहू कम पाये गये। उक्तानुसार अनियमितताऐं के संबंध में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट जिमनाराम के प्राधिकार पत्र को आदेश दिनांक 09.05.2019 से निलम्बित तथा जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.05.2019 से उचित मूल्य दुकान पुन्दलौता का अस्थाई कार्यभार श्री हनुमानराम उचित मूल्य दुकानदार सांजू को देने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश दिनांक 15.09.2019 के सन्दर्भ में जिमनाराम अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान पुन्दलोता का चार्ज श्री हनुमानराम उचित मूल्य दुकानदार सांजू को 21.05.2019 को दिया गया। अपीलान्ट जिमनाराम द्वारा उसका प्राधिकार पत्र निलम्बन हो जाने के पश्चात अपनी मूल उचित मूल्य दुकान सांजू का चार्ज श्री सीताराम उचित मूल्य दुकानदार दागड़ी तहसील डेगाना को दिनांक 19.05.2019 को हस्तान्तरित किया, जिसमें अपीलान्ट जिमनाराम द्वारा 4972.50 लीटर कैरोसीन का हस्तान्तरण सीताराम उचित मूल्य दुकानदार दागड़ी को करना था, किन्तु अपीलान्ट द्वारा केवल 0.5 लीटर केरोसीन का ही हस्तान्तरण श्री सीताराम को किया, उक्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध चार्ज हस्तान्तरण रिपोर्ट 19.05.2019 से साबित है, उक्त रिपोर्ट पर चार्ज लेने वाले के रूप में सीताराम व चार्ज देने वाले के रूप में अपीलान्ट जिमनाराम के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार अपीलान्ट ने 4972लीटर केरोसीन का गबन किया जाना साबित है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की जिससे यह साबित हो की उसके द्वारा उक्त 4972लीटर केरोसीन एवं 1.30 क्विंटल गेहू का गबन नहीं किया हो। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

22. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

23. निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर नागौर (राजस्थान)

(दिनेश कुमार यादव),
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 17:02:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: